खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
सितंबर, 2018 माह के लिए मासिक सारांश

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों की पहल के तहत आधार से जुड़ी बायोमिट्रिक अधिप्रमाणन सुविधाओं के साथ अब तक कुल 3,34,318 (63%) उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया गया है। अन्न वितरण पोर्टल के अनुसार माह सितंबर, 2018 में कुल ई-पीओएस आधारित लेनदेन का लगभग 73 प्रतिशत (जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पीओएस प्रचालनरत हैं) लाभभोगियों के आधार/बायोमिट्रिक का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणित किया गया था।

- इस समय देश भर में राशन कार्डों की आधार सीडिंग लगभग 84.25 प्रतिशत (परिवार का कम से कम एक सदस्य) तथा राशन कार्ड डाटा में लाभार्थीवार आधार सीडिंग लगभग 78.12 प्रतिशत है।

- दिनांक 01.10.2018 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक 542.59 लाख टन (186.34 लाख टन चावल तथा 356.25 लाख टन गेहूं) है, जो अनुकूल स्थिति है।

- खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से माह सितंबर, 2018 की तीसरी निविदा तक खुले बाजार में 13.11 लाख टन गेहूँ तथा 2.02 लाख टन चावल की बिक्री की गई है।

- खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान 01.10.2018 की स्थिति के अनुसार पूर्वी राज्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल के रूप में 60.40 लाख टन धान खरीदी गई है जबकि खरीफ विपणन मौसम 2016-17 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 56.65 लाख टन की खरीद की गई थी।

- वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के दौरान देश के अन्य भागों में खरीद तेजी से हुई है, जिसमें 430 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में धान के रूप में 381.75 लाख टन चावल की खरीद (दिनांक 28.09.2018 की स्थिति के अनुसार) पहले ही कर ली गई है। रबी विपणन मौसम 2018-19 के दौरान 320 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 355.22 लाख टन गेहूं की खरीद की है।

- जहां तक आधुनिक साईलोज के निर्माण का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 85 स्थानों पर कुल 44.25 लाख टन क्षमता के लिए साईलो ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है, जिसमें से 13 स्थानों पर 6.25 लाख टन क्षमता का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 6.00 लाख टन के लिए निविदाएं

जारी कर दी गई हैं और 32.00 लाख टन के लिए 38 स्थानों की पहचान कर ली गई है।

- 31.08.2018 तक पीईजी स्कीम के अंतर्गत 141.47 लाख टन की संचयी क्षमता पूर्ण कर ली गई हैं। माह के दौरान उत्तर प्रदेश (18,340), झारखंड (10,000) तथा अरूणाचल प्रदेश (25 टन) में 28,365 टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण किया गया है।

- फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के सभी 530 प्रचालनरत डिपुओं पर डिपो ऑनलाइन प्रणाली (डीओएस) प्रचालित की जा रही है। केन्द्रीय भंडारण निगम के मामले में डिपो ऑनलाइन प्रणाली भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए सभी 144 डिपुओं में कार्यान्वित की गई है।

- चीनी मिलों से प्राप्त ऑनलाइन रिपोर्टों के अनुसार मौसम 2017-18 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान गन्ने से चीनी का उत्पादन, घरेलू रॉ चीनी सहित विगत चीनी मौसम 2016-17 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 202.27 लाख टन की तुलना में दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार 321.96 लाख टन है।

- चीनी मौसम 2017-18 के संबंध में दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार 84465 करोड़ रुपए के कुल देय गन्ना मूल्य में से 71714 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है और 12751 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य लंबित है।

- चीनी मौसम 2017-18 के दौरान निर्यात के लिए न्यूनतम संकेतात्मक निर्यात कोटा (एमआईईक्यू) के अंतर्गत 20 लाख टन चीनी के निर्यात की वास्तविक वैधता अवधि को दिनांक 28.09.2018 के आदेश के द्वारा दिनांक 30.09.2018 तक बहाल कर दिया गया है।

- चीनी उद्योग में इन्वेंटरी के स्तर को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय स्थिति में सुधार को सुगम बनाने के लिए दिनांक 28.09.2018 के एक अन्य आदेश द्वारा चीनी मौसम 2018-19 में निर्यात के लिए चीनी मिलों को 50 लाख टन का न्यूनतम संकेतात्मक निर्यात कोटा आवंटित किया गया है। चीनी मौसम 2017-18 में प्रचालन करने वाले चीनी कारखानों को विगत-2 प्रचालनरत मौसमों तथा मौसम 2017-18 के दौरान चीनी मिल द्वारा किए गए चीनी के औसत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए चीनी की सभी ग्रेडों अर्थात रॉ चीनी, प्लांटेशन व्हाइट तथा रिफाइंड चीनी का 50 लाख टन का निर्यात कोटा अनुपातिक आधार पर आवंटित किया गया है।

- आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 26.09.2018 को आयोजित अपनी बैठक में चीनी क्षेत्र की सहायता करने के लिए गन्ने की लागत की भरपाई करके तथा देश से चीनी के निर्यात (चीनी मौसम 2018-19 में निर्यात के लिए 50 लाख टन

के न्यूनतम संकेतात्मक निर्यात कोटे के संबंध में) को सुगम बनाने के लिए उपाय अनुमोदित किए हैं, जिसमें कुल 5538 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है और इस प्रकार इस उद्योग की नकदी की स्थिति में सुधार किया है, ताकि वह किसानों के गन्ना बकाया का निपटान कर सके। सहायता प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित इस स्कीम को अधिसूचित कर दिया गया है।

- विभाग ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता के संवर्धन/वृद्धि संबंधी स्कीम के अंतर्गत कुल 6139.08 करोड़ रुपए की राशि के 114 प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं और तदनुसार संबंधित चीनी मिलों को दिनांक 20.09.2018 को अनुमोदन पत्र जारी कर दिए गए थे।